

(b) if so, whether it is also a fact that being the Chairperson of the Non-aligned Movement the Prime Minister had also expressed views that the use of chemical weapons would be clearly a violation of the international convention : and

(c) if so, what has been the response of the UN Secretary General of this issue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM) : (a) Yes Sir. There have been allegations regarding the use of chemical weapons in the war. Recent reports also indicate intensification of the conflict.

(b) The use of chemical weapons would be clearly in violation of international convention. The Prime Minister has on several occasions expressed this view.

(c) The Secretary-General of the United Nations sent a team of experts to Iran to investigate the allegations regarding the use of chemical weapons. The team visited Iran from 13th to 19th March 1984 and presented a report which was forwarded by the UN Secretary-General to the Security Council. The report of the UN Investigating Team confirms the use of chemical weapons in the areas inspected by the team in Iran. The President of the Security-Council issued a conscious statement on behalf of the members of the Council.

रेल संचालन के सम्बन्ध में रेल सुधार समिति की रिपोर्ट

\*673. श्रीमती प्रमिला इण्डरते :

श्री नीतीभाई धार, चौबरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुधार समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में संचालन में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौबरी) : (क) रेल सुधार समिति अपनी रिपोर्टें अलग-अलग भागों में प्रस्तुत कर रही है और अब तक रिपोर्ट के 15 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(ख) अब तक प्राप्त रिपोर्टों की पांच प्रतियां, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

Decentralisation of Enquiry and Reservation Cadre of Railways

\*674. SHRI DOONGAR SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether as per policy, decentralisation has been done in all cadres like Booking, Parcel, Goods, Checking etc., and these cadres are now kept under Divisional control ;

(b) whether the Enquiry and Reservation cadre is still under Zonal control; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOU-DHURY) : (a) The posts of booking, parcel, goods and coaching clerks are divisionally controlled upto certain grades and controlled by the Headquarters in the higher grades, the extent of decentralisation in this regard varying from Railway to Railway.

(b) As per orders issued by the Ministry of Railways, the cadre of

enquiry-cum-reservation clerks is controlled by the Headquarters Office of each Zonal Railway.

(c) Broadly stated, the reasons are :

(i) The cadre of Enquiry-cum Reservation Clerk is one consisting of a comparatively small number of posts.

(ii) The persons manning these post should have special skills in dealing with the public.

(iii) In the interest of Administration, greater flexibility is required in the posting and transfer of staff of this cadre.

दानापुर डिबिजन के यातायात विभाग में स्थानापन्न कर्मचारियों को नियमित करना

\*675. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के दानापुर डिबिजन के यातायात विभाग में स्थानापन्न (सब्स्टीच्यूट) कर्मचारियों को उस विभाग में पदों के रिक्त रहते हुए भी नियमित नहीं किया जाता है जबकि समयोपरि भत्त के रूप में लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं;

(ख) क्या इन स्थानापन्न कर्मचारियों को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद ट्रांसफरि जांच कराने के लिए कहा जाता है;

(ग) स्थानापन्न कर्मचारियों को यदि नियमित कर भी दिया जाता है, तो क्या नियमित किए जाने से पहले का उनका सेवा काल ग्रांच्युटी, पेंशन और अन्य लाभों के लिए शामिल नहीं किया जाता है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खाँ चौधरी) : (क) जी नहीं। इस समय केवल लगभग 10 रिक्त स्थान हैं और इन रिक्त स्थानों पर लगाने के लिए स्क्रीन किये हुए एवटियों की सूची मौजूद है।

(ख) मेडिकल वर्गीकरण ए-एक से ए-तीन के अन्तर्गत आने वाले पदों पर लागू वर्तमान आदेशों के अनुसार, एवजियों को हर तीन वर्ष बाद आवधिक मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जिनका अनुसरण दानापुर मंडल में भी किया जा रहा है, पेंशन लाभों के लिए एवजियों की सेवा एवजी के रूप में 4 महीने की (अध्यापकों के मामले में 3 महीने की) सत्त सेवा पूरी करने की तारीख से गिनी जाती है। बशर्ते कि उन्हें बाद में, बिना सेवा भंग हुए श्रेणी III और IV की नियमित सेवा में समाहित किया गया हो। ज्ञयन के बाद नियमित पद पर उनका समावेश हो जाने पर उनकी सेवा को वरिष्ठता के सिवाय अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सत्त सेवा भी माना जाता है।

परीक्षाओं में नकल करने की घटना

\*676. श्री बिजय कुमार भावध : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में छात्रों द्वारा परीक्षाओं में नकल करने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस कयाचार को रोकने के लिए